भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

**लोक सभा**
**तारांकित प्रश्न संख्या-117**
उत्तर देने की तारीख-27/07/2026

**धार्मिक गतिविधियों के कारण शैक्षणिक कार्यकलापों में व्यवधान**

*117. **श्री राजकुमार रोतः**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में धार्मिक गतिविधियों के कारण शैक्षणिक कार्य समय के दौरान सरकारी विद्यालयों, छात्रावासों और महाविद्यालयों में शैक्षणिक कार्यकलापों में बाधा उत्पन्न होने अथवा अवकाश घोषित किए जाने की घटनाओं की संख्या का राज्य-वार और राजस्थान में जिला-वार ब्यौरा क्या है और ऐसे आयोजनों को विनियमित करने वाले नियमों और विनियमों का ब्यौरा क्या है;
(ख) राजस्थान में ऐसे कितने सरकारी और निजी शिक्षण संस्थान हैं जहां छात्रों पर धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए कथित रूप से दबाव डाला गया था या इन गतिविधियों में भाग न लेने के लिए उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी और इस संबंध में कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर की-गई-कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का विचार सरकारी शैक्षणिक संस्थानों के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को सुनिश्चित करने, छात्रों की स्वतंत्रता की रक्षा करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश बनाने और अनिवार्य रूप से सख्त कार्रवाई करने का है; और
(ङ) यदि हां, तो इसके कार्यान्वयन की प्रस्तावित समय-सीमा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**
**शिक्षा मंत्री**
**(श्री प्रह्लाद जोशी)**

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

**“धार्मिक गतिविधियों के कारण शैक्षणिक कार्यकलापों में व्यवधान” के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री राजकुमार रोत द्वारा दिनांक 27.07.2026 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 117 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।**

(क) और (ख): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है तथा देश में बहुसंख्य स्कूल और शिक्षक राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। सरकारी स्कूलों का प्रशासन एवं प्रबंधन जिनमें, छुट्टियों की घोषणा, स्कूल कार्यकलापों का संचालन, अनुशासन बनाए रखना तथा शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित शिकायतों का निपटान शामिल हैं, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के कार्यात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

जैसा कि राजस्थान राज्य द्वारा सूचना दी गई है, आवासीय स्कूलों/छात्रावासों में सभी शैक्षणिक कार्यकलाप तथा छुट्टियां शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा प्रकाशित "शिविरा" कैलेंडर के अनुसार दी जाती है।

(ग) से (ङ): राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय लोकाचार में निहित एक शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना करती है जो सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके और इस प्रकार भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर, भारत को स्थायी रूप से एक न्यायसंगत और जीवंत ज्ञान समाज में बदलने में सीधे योगदान करती है। इस नीति में यह परिकल्पना की गई है कि हमारे संस्थानों के पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र में छात्रों के बीच मौलिक कर्तव्यों और संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान की गहरी भावना, अपने देश के साथ जुड़ाव और बदलती दुनिया में अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के प्रति सचेत जागरूकता विकसित होनी चाहिए। एनईपी का दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच न केवल विचार में, बल्कि भावना, बुद्धि और कार्यों में भी भारतीय होने पर गर्व पैदा करना है, साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्यों और प्रवृत्ति को विकसित करना है जो मानवाधिकारों, दीर्घकालिक विकास और जीवन एवं वैश्विक कल्याण के लिए जिम्मेदार प्रतिबद्धता का समर्थन करते हैं, जिससे वास्तव में वैश्विक नागरिक होना प्रतिबिंबित होता है।

विभाग की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत स्कूलों में धार्मिक गतिविधियों के आयोजन के संबंध में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं हैं। ऐसे मामले लागू कानूनों और विनियमों के अध्यधीन उपयुक्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार और संबंधित स्कूल के प्रबंधन के क्षेत्राधिकार में आते हैं।

*****